

8/7/24

पत्रावली पेशा
वकीलप्राची अधिवक्ता
पत्रावली में आज कोई प्रस्ताव नहीं होने की वजह
इसका कारण पत्रावली पूर्व अवैधिकानुसार दिनांक 26/7/24
को पेश हो।

26/07/24

पत्रावली पेशा | वकुलाय उप। अचि. प्राची
अवाबुल अवल पेश करना चाहते हैं। अचि.
अप्राची द्वारा बंदस की गई। पत्रावली दिनांक
14/08/24 को पेश हो।

Princha
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

14/8/24

पत्रावली पेशा | मूलवाद आवैधिकानुसार पत्रावली
आवेदन 16/8/2024 को पेश हो।

Princha
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

16/08/24

पत्रावली पेशा | वकुलाय उप। उभयपक्ष बंदस
सुनी गई। मुताबिक बंदस अचि. प्राची-

"नरपतसिंह द्वारा मूरखंड सं. 01, 02, 2500 वर्ग
फीट का बेचान अप्राची को किया गया।
अप्राची द्वारा मूरखंड सं. 03, 04 में 33x50
फीट भूमि पर अवेच अतिक्रमण कर
लिया गया है। अतः अप्राची को पाबंद
किया जावे कि 33x50 फीट अवेच
अतिक्रमण की भूमि के मौका एवं
record की यथास्थिति बनाए रखें।"

मुताबिक बंदस अचि. अप्राची-
"अप्राची के पिता ने वर्ष 2012 में भूमि
का बेचान अप्राची को किया। वर्ष 2012
से अप्राची भूमि पर काबिज है। अप्राची ने
वर्ष 2012 से ही मकान निर्माण शुरू कर
दिया था। वर्ष 2012 से आज दिनांक तक
अप्राची द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई
अतः प्रा. पत्र स्वारिज करमाया जावे।"

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7 Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2024/32

Case No. of the Case: 1000/2024 at JALANDHAR
 Name of the Case: U.S. 212 R.T.A 1985
 Number of Case: A/65 Year 2024
 Versus: *(Handwritten name)*

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of compliance of the Order

प्रमाणित, प्रमाणों द्वारा कुछ
 कोर्टों/अदालतों पर निर्दिष्ट
 के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण
 सिम्बानुसार किया जाता है - "चूंकि
 अधीन जारी पत्रों/दस्तावेज भूमि
 का खरीदार है, अतः अधीन
 विचारित भूमि में सहकारियों
 बिना विचिंत विभाजन सहकारियों
 भूमि के किसी विहित सू-भाषा
 पर स्वयं जारी करना उचित
 प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रा.
 पत्र खारिज किया जाता है।
 सू-भाषा पढ़कर सुनाया गया
 पत्रावली - कुल - सुमार होकर
 नोटिस - दफ्तार ही।

(Signature)
 न्यायाधीश
 (प्रा. पत्र) अदालत

